

ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर केस सं0-06 / 2018-19

विकास रविदास वगै0 बनाम् विलास रविदास वगै0

04-03-2023


-: आदेश :-


वर्तमान वाद आवेदक विकास रविदास, पे0-स्व0 मंगलु रविदास, एवं वकील रविदास, पे0-विकास रविदास, दोनों साकिन-दिग्धी सिमानपुर, थाना-मेहरमा, अंचल-ठाकुरगंगटी जिला-गोड्डा द्वारा समर्पित आवेदन, जो मौजा-सिमानपुर नं0-77, जमाबंदी नं0-14, दाग नं0-107, रकवा 00-07-10 धूर भूमि से विपक्षी (1) विलास रविदास, पे0-स्व0 टेरु रविदास, (2) रामनाथ रविदास (3) सुकदेव रविदास, दोनों पे0-झारी रविदास, (4) जयनाथ रविदास, (5) प्रसादी रविदास, (6) रामप्रवेश रविदास, (7) मुकेश रविदास, (8) सिकन्दर रविदास तीनों पे0-खेरु रविदास, साकिन-दिग्धी सिमानपुर, थाना-मेहरमा, जिला-गोड्डा को उच्छेद करते हुए दखल दिलाने का अनुरोध को लेकर प्रारंभ किया गया। तदनुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के पत्रांक-431/रा0, दिनांक-30.09.2022 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त पाया कि प्रासंगिक भूमि विवाद उभय पक्ष एक ही जमाबंदी रैयत के वंशज रहने के कारण आपसी बँटवारा से संबंधित है, जिसका निस्तारण सक्षम न्यायालय से संभव है।

अतः आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाई को समाप्त की जाती है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


04.03.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।


04.03.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen
Bande
Kumr Singh
Ad
24/3/23